राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 200/2015

श्रीमती सुशीला देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, आईसीडीएस, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.03.2015
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के नाम पर एससी वर्ग से एसीडीपीओ के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति महिला पर्यवेक्षक के पद पर आदेश दिनांक 30.04.1986 के द्वारा एससी वर्ग में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 13.05.2004 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 135 पर अंकित किया गया, परंतु अपीलार्थी का नाम एससी वर्ग के विरूद्ध नहीं दर्शाया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिनांक 15.07.2008 को त्रुटि सुधार हेतु प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा उक्त संशोधन कर दिया गया लेकिन पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 17.09.2014 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस

जारी कर प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के नाम पर एससी वर्ग से एसीडीपीओ के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति महिला पर्यवेक्षक के पद पर आदेश दिनांक 30.04.1986 के द्वारा एससी वर्ग में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 13.05.2004 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 135 पर अंकित किया गया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के नाम पर एसीडीपीओ के पद पर पदोन्नति हेतु कोई विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग को नोटिसेज जारी उपरांत भी अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य